International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 5 Issue 11 Ser. I || November 2016 || PP 70-72

भारतीय नारी समाज पर पाष्चात्य प्रभाव

डॉ० मंजु नावरिया
एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशियोलॉजी गोवेर्मेंट पी० जी० कॉलेज दौसा

सन्दर्भ

पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की जीवन शैली मे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं,जिनसे उनके व्यवहार,मूल्य संवेदनाओं तथा प्रेरणा शक्ति ही प्रभावित नही हुई,बल्कि आज वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी कर रही हैं। सामाजिक परिवर्तन के घूमते चक्र के कारण ही महिलाओं को परम्परागत रूढिवादी भूमिका से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। भारत में इन सामाजिक परिवर्तनो का असर शहरी शिक्षित महिलाओ में और उसमें भी विशेष रूप से मध्यम वर्ग की महिलाओं पर अधिक पड़ा है। शहरीकरण,शिक्षा और रोजगार जो कि वस्तुतः इन सामाजिक बदलाव की ही देन है,ने अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा अधिकार जताने के नये अधिकार या आयाम दिखाये हैं। नारी किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है,अपितु सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। भारत देश के इतर देशो में भी नारियों को असंख्य दुःखो का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी नारी को वोट के अधिकार के लिए लड़ना विभिन्न विसंगतियों,विडम्बनाओं एवं विषमताओं से भरा रहा। किन्तु वह हार मानने वाली नही थी। वह पुरूष की नियति को पहचान गई और अपने ऊपर हो रहे विभिन्न अत्याचारो के खिलाफ उठ खड़ी हुई। आज महिलायें घर की चार–दिवारी से बाहर निकलकर आय सृजित करने में लगी है। इससे उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओ की भी पूर्ति होती है।

परिचय

''वह घर वीरान भूमि के समान है, जिस घर में नारी को उचित सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त है। ममत्व से पूर्ण, संवेदनशील, धैर्यशील, प्रेरणामयी, नम्रता, श्रद्धा एवं त्याग की प्रतिमूर्ति, गौरवमयी व्यक्तित्व और असंख्य दुखों को सहर्ष सहन करने वाली नारी कभी भी अबला नहीं हो सकती''।

स्त्री वो है जो हर मोड़ पर जीवन का संतुलन बनाये रखने के लिए अपनी भावना को तोस–मसोस कर आगे बढ़ने लगती है। समाज हो या परिवार कहीं भी स्त्री विश्वसनीय नहीं है पुरूष की। वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर रूप में उन्हें स्वंय से क्षीण मानता रहा है। स्त्री और पुरूष के बीच के इस तनावपूर्ण और असमान व्यवहार का कारण है समाज में पुरूषों द्वारा भेदभाव पूर्ण नीतियाँ एवं संहिता जो उसके लिए मतभेद, तनाव, अविश्वसनीयता और शोषण का जिम्मेदार है। सच पूछा जाय तो इस पुरूष प्रधान समाज में हमने नारी पर कम जुल्म नहीं ढाये हैं, उसे पर्दे में रखकर उसकी स्वतंत्रता छीनी, तो बहु को नौकरानी की तरह रखकर उसको अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट दिये हैं। बाल विवाह, दहेज, हत्यायें इत्यादि को रोकने के लिए हमने अनेक कानून बना तो दिये किन्तु बिडम्बना यह है कि हम नारी को ही नहीं बचा पाये। हम कानून तो बनाते हैं किन्तु उसपर अमल नहीं करते। इन सबके लिए हमारा प्रशासन दोषी है, हमारा समाज दोषी है और समाज का वह हर एक इंसान दोषी है जो धर्म और राजनीति के नाम पर समाज को सुधारने के निराधार और वेबाक वायदे तो करता है, परन्तु हमारी माँ, बहन और बेटी पर हो रहे अत्याचारों को रोक नहीं पा रहा है।

इस दुनिया का इतिहास जितना ही पुराना है उसकी विडम्बना और शोषण का इतिहास भी उतना ही पुराना है ये अभी और कबतक लिखा जायेगा, इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ प्रतिशत्ता आधुनिकता ने इसे कम किया है कोई ये कहे कि नारी के प्रति पुरूष का दृष्टिकोण बदल गया है, तो मैं ये मानने को बिल्कुल भी मानसिक तौर पर तैयार नहीं हूँ। जुबान से मुक्ति की बात तो कर रहे हैं लेकिन मुक्ति देना कोई नहीं चाहता।

स्त्री की स्थिति अशिक्षा,पर्दा–प्रथा,बहु–विवाह,बाल–विवाह,सती–प्रथा,वैधव्य एवं शोषण के कारण अधीनस्थ की थी, पिता के लिए बोझ एवं पति के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन थी। ऐसे समय में महिलाओं की दशा में परिवर्तन के लिए राजाराम मोहन राय ने दायभाग कानून का विरोध किया और महिलाओं के लिए सम्पत्ति के अधिकार की वकालत की। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और महादेव गोविन्द रानाडे ने बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया साथ ही इन्होने कुलीनतावाद का विरोध करते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया ताकि महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकें। ज्योतिरावफुले ने विधवा पुनर्वास की दिशा मे कार्य किया और गर्भवती महिलाओं के लिए अनाथाश्रम की स्थापना की। स्वामी विवेकानन्द ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया,बाल

विवाह का विरोध किया और महिलाओं की दयनीय दशा को समाज की सबसे बडी बुराई माना। एनीबेसेन्ट ने बाल विवाह का विरोध,विधवा विवाह का समर्थन तथा स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उनके लिए थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना भी की। समाज सुधारको के इन प्रयासो के परिणामस्वरूप सन् 1829 ई0 में सती प्रथा की समाप्ति,1856 ई0 में विधवा पुनर्विवाह प्रथा तथा 1861 ई0 में अनुमति की आयु का अधिनियम पारित किया गया।

विगत 25 वर्षो से स्त्री विचार के केन्द्र में रही है। जीवन में भी और साहित्य में भी। स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री विमर्श, स्त्रीत्ववाद, स्त्रीत्ववाद की धारायें, उप धारायें, पूर्व की स्त्री, पश्चिम की स्त्री, सशक्त स्त्री, अबला स्त्री, अच्छी स्त्री, बुरी स्त्री। बदलते परिवेश में बदलती स्त्री और उसके कारण स्त्री के लिए निर्धारित मानदण्डों में बदलाव सामाजिक संक्रान्ति को जन्म दे रहा है। स्वतंत्रता के उपरान्त संवैधानिक अधिकारों के तहत स्त्री को स्वतंत्रता व समानता के अवसर मिले। शिक्षा, रोजगार व वैयक्तिक जीवन में उसे पुरूष के समान अवसर प्राप्त हुए। आधुनिकता के आदर्शो का अनुमोदन करते हुए मध्य वर्ग ने अपने परिवार की स्त्रियों के लिए उपर्युक्त सभी अवसर उपलब्ध करायें। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अच्छा पढ़ लिखकर उन्होंने डाक्टर, इंजीनियर, आर्कीटेक्ट, डिजाइनर और उन सभी क्षेत्रों में कदम जमाये जो अबतक पुरूष वर्चस्व के समझे जाते थे। लड़कियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। शिक्षा से स्त्री में आत्म विश्वास, आत्म सम्मान और आत्म निर्भरता का भाव उत्पन्न हुआ है।

स्वतंत्र भारत में संवैधानिक रूप से स्त्री–पुरूष को समानता का दर्जा हासिल है, संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। स्त्रियों को उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हैं। वे शिक्षा के सभी सम्भावित क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने के लिए स्वतंत्र है। पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री के विकास हेतु शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया गया एवं अनेक कमीशनों द्वारा स्त्रियों की बेहतरी हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये गये। विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, नारी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति, स्त्री शिक्षा सार्वजनिक सहयोग समिति, कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति परीक्षा समिति, केन्द्रीय सलाहकार समिति ने स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार व उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझावों के साथ–साथ स्त्रियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के सुझाव भी दिये। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुताबिक महिलाओं के स्तर में बुनियादी बदलाव लाने के लिए शिक्षा का इस्तेमाल एक औजार के रूप में किया जायेगा। इन सुझावों के क्रियान्वयन हेतु 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ किया गया। सरकार ने सन् 2000 तक सभी को शिक्षित करने की योजना बनाई जो पूरी नहीं हो सकी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा योजना, नवोदय व केन्द्रीय विद्यालयों में बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में एक तिहाई लड़कियाँ हो, स्कूलीय शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाली लड़कियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए 2 स्तर तक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के तहत व्यवसायिक पाठयक्रम तैयार किये गये ताकि उद्यमिता का विकास हो। महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए 1989ई0 में समाख्या योजना प्रारम्भ की गई तथा गैर–पारम्परिक क्षेत्रों में लड़कियों/महिलाओं की भागीदारी के प्रयास किये गये। विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव के बाद भी स्त्रियाँ आगे बढ़ती दिख रही है। वे हर क्षेत्र में विकास एवं योगदान दे रही है। घर परिवार को भी आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर रही है तथा हर संभव कोशिश करके समाज में अपना स्थान ऊँचा कर रही है।

हमारे समाज में नारी को पुरूष के साथ गौण स्थान प्राप्त है, परन्तु नारी जो कि हम सबकी माँ है, उसको इस दीन स्थिति में ढकेल दिया गया है। परिवार में बच्ची का जन्म एक निराशा का अवसर होता है, जबकि लड़के का जन्म आनन्द और उत्सव मनाने का। सामाजिक जीवन का रथ एक पहिये से नहीं चल सकता, किन्तु फिर भी न जाने क्यों दूसरे पहिये को महत्व की पहचान कम क्यों है ? क्या वह समाज जिसमें महिलाओं को ऐसा समझा जाता है उन्नति कर सकता है ? महिलाएँ जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं यदि यह आधा भाग अविकसित रह जाय, उसकी बढ़ोत्तरी बीच में ही रूक जाय और जिसको जीवन को सम्पूर्ण बनाने वाले अवसरों के उपभोग की कमी हो, तो ऐसे समाज में यह आशा करना अव्यवहारिक है कि वह अपनी पूर्ण क्षमताओं का विकास कर सकेगा। भारत में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम महान महिलाओं के नामों से परिचित हैं जैसे– गार्गी, लोपामुद्रा, रजिया, झांसी की रानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पण्डित, इन्दिरा गांधी महिलाओं की पंक्ति में से कुछ के नाम है जिन्होंने विभिन्न युगों में इतिहास के पन्नों को सजाया है। लेकिन यह भी महिलाऐं थी जो कि उस समय के माहौल से भी अधिक महान थी, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को ही चीर कर रख दिया था, जो उनके रास्ते में उपस्थित हुई। लेकिन यदि हमने महिलाओं के विकास के रास्ते में बाधाएँ न खड़ी की होती तो हमारा समाज अधिक शक्तिशाली, अधिक जीवन्त और अधिक विकासोन्मुख होता, किन्तु हमने मौका खो दिया। उपलब्धियाँ और विकास की उँचाईयों की ओर दौड़ में महिलाओं की सोचनीय स्थिति निश्चित रूप से एक रोड़ा बन गई। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है आइये हम नारी को वह स्थान प्रदान करें, जिसकी वह अधिकारिणी है। उसे प्रतिष्ठा और समानता का दर्जा, आदर और पहचान प्रदान करें। दहेज निवारण अधिनियम 1961 जिसको की 1986 में संशोधित किया गया, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो कि 1976 में संशोधित किया गया, फैक्ट्री संशोधित अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, शारदा एक्ट आदि कुछ उपाय हैं जिनको की महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अपनाया गया है, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। 1976 में महिलाओं के लिए नेशनल प्लान ऑफ एक्शन को भी लागू किया गया। इसके अतिरिक्त वीमेन्स ब्यूरो भी है जो कि महिलाओं के लिए किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यो का समन्वय करता है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं

के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु 147 योजनाएँ क्रियान्वित है जिनमें प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, उड़ान स्कीम, बेटी बचाओं–बेटी पढाओं योजना, कौशल्या योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि योजनाओं के साथ–साथ राज्य स्तर पर भी कार्य किये जा रहे हैं। नारी को सशक्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम कालान्तर में परिणाम प्रदर्शित करेगा।

निष्कर्ष–

पिछले तीन दशको में मध्यवर्ग की कामकाजी स्त्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण,राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और विकास में भी स्त्रियों की भूमिका कुछ कम महत्व नही रखती है। इस महान और मजबूत स्त्री शक्ति की ओर उचित ध्यान देने की जरूरत है,जिससे कि खुद स्त्रियों को तथा साथ ही राष्ट्र के विकास और आर्थिक प्रगति के मामले में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। यह तभी सम्भव होगा जब स्त्रियों को सम्मान दिया जाये और इसके साथ उनकी शक्ति को राष्ट्र के लाभ के लिए और स्त्रियों का दर्जा उठाने के लिए सही रास्ते पर लगाया जाये। अन्य समाजो के साथ–साथ भारत में भी परम्परा रही है कि पति जीविका का साधन जुटाने का कार्य करता है, और पत्नी परिवार के दायित्व को संभालती है,लेकिन अब यह परम्परा बदल रही है। यह बदलाव काफी हद तक पाश्चात्य प्रभाव के कारण आ रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1– सुमित सरकार : ''आधुनिक भारत'' राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

2– यशपाल एवं ग्रोवर : भारत का संवैधानिक इतिहास, नई दिल्ली।

3– पवन कुमार वर्मा, भारतीय मध्यवर्ग की अजीब दास्तान, राजकमल प्रकाशन, 1999।

4– स्त्री संघर्ष का इतिहास, राधा कुमार, अनु0 रमाशंकर सिंह, वाणी प्रकाशन 2002।

5– इक्कीसवीं सदी नारी सदी– श्री राम शर्मा आचार्य, अखण्ड ज्योति संस्थान 1998।

6– विमर्श– एक अन्तर्विषयक शोध पत्रिका, वर्ष– 6, अंक–1, सत्र– 2015–16, पृष्ठ– 84–85, 101–102,103–104।

7– समाचार पत्र– दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं टाइम्स आफ इण्डिया।

8– इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार चैनल।